उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– 1841 /पॉच–8–2018–जी(347)/2017
लखनऊ : दिनांक : 03 अगस्त, 2018
कार्यालय ज्ञाप

डा0 चन्द्रप्रभा सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में उत्तराखण्ड राज्य का कर्मचारी माने जाने के लिए रिट याचिका संख्या–319/2012 योजित की गयी थी, जिसमें दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय में मा0 उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी है कि द्वितीय विकल्प का कोई अवसर नही है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2012 का कियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

"Since 2005 untill date, petitioner has not shown any grievence against her final allocation to the State of Uttar Pradesh.

We, accordingly, dismess the writ petition hoping that the State of Uttarakhand will discharge its statutory obligation to relieve the petitioner in order to enable her to join her services in the State of Uttar pradesh"

2– उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1254/XXVIII–2–2016/06(02)/2012टी0सी0 देहरादून दिनांक 16.10.2017 द्वारा डा0 चन्द्रप्रभा सिंह, महिला चिकित्साधिकारी (वरिष्ठता कमांक–8974) जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर चमोली को उत्तर प्रदेश राज्य का विकल्पधारी होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य से उ0प्र0 राज्य हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया, जिसके अनुपालन में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या–2प/रा0म0/52/2008/ 28091, दिनांक 25.10.2017 एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर चमोली उत्तराखण्ड के आदेश संख्या–ई–1/चि0अ0/ 2017–18/1984–91, दिनांक 10.11.2017 द्वारा डा0 चन्द्रप्रभा सिंह को कार्यमुक्त कर दिया गया। डा0 चन्द्रप्रभा सिंह, महिला चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यमुक्त होने के उपरान्त दिनांक 14.11.2017 को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत की गई।

3– उ0प्र0 राज्य में चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान कराने हेतु डा0 चन्द्रप्रभा सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–9018/2018 भी योजित की गयी, जिसे अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.05.2018 द्वारा नियमानुसार याची का प्रत्यावेदन एक माह के अन्दर निस्तारित करने के आदेश दिये है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05.2018 का कियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

Learned Standing Counsel, on the basis of instructions, has submitted that vide letter dated 16.01.2018, the Joint Secretary, State of Uttar Pradesh, Lucknow has sought information from the Director General, Medical and Health, Uttar Pradesh, Lucknow regarding posting of the petitioner and apparently, the same has not been provided and, therefore, no further action has been taken in the matter. Considering the fact that the petitioner has submitted her joining on 14.11.2017 before the opposite party no.4 and

this fact has been averred in the letter dated 15.11.2017 (Annexure-5 to the writ petition) sent by the opposite party no.4 to the opposite party no.7 and apparently, the issue with regard to joining the petitioner is pending before the State Government for acceptance, the petitioner is at liberty to make a fresh representation ventilating all her grievance before the State Government within fifteen days from today along with certified copy of this order and on receipt of the same, the State Government shall consider and decide the same, in accordance with law, within a period of one month from the date of production of certified copy of this order along with the application.

With the aforesaid observations/directions, the writ petition is disposed of.

4— डा0 चन्द्रप्रभा सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के उपरोक्त निर्णय दिनांक 07.05.2018 के साथ अपना प्रत्यावेदन दिनांक 17.05.2018 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रस्तुत किया गया, जिसके संदर्भ में निर्णय लिये जाने के लिए सम्पूर्ण तथ्यों की स्पष्टता हेतु विभागीय अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 23.05.2018 जो संयुक्त सचिव के स्तर पर बुलायी गई, जिसमें डा0 चन्द्रप्रभा सिंह का पक्ष भी सुना गया तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ से कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचनाए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5— इस बीच उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय अनुभाग–1 का शासकीय पत्र दिनांक 25.05.2018 प्राप्त हुआ, जिसमें यह अवगत कराते हुए कि डा0 चन्द्रप्रभा सिंह तथा कुछ उच्च कार्मिकों को उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य के आवंटन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में परामर्शी समिति की आगामी बैठक में विचार किया जाना है, कतिपय सूचनायें उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। इससे स्पष्ट है कि डा0 चन्द्र प्रभा सिंह को उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड राज्य आवंटित करने के संबंध में भारत सरकार में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना शेष है।

6— महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–3क/181–म–92टी0सी0/811, दिनांक 29.05.2018 द्वारा दिनांक 28.05.2018 को आयोजित बैठक में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध करायी गयीं, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, डा0 चन्द्रप्रभा सिंह को उनके द्वारा प्रस्तुत योगदान आख्या दिनांक 14.11.2017 को स्वीकार करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर के अधीन इस शर्त के साथ तैनात किया जाने के आदेश प्रदान करते है कि भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित उ0प्र0/उत्तराखण्ड राज्य में से यदि उन्हें उत्तराखण्ड आवंटित किया जाता है, तो उन्हें उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1247/(1)/पॉच–8–2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार(प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग–2
4– सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, उ0प्र0।
5– अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1254/XXVIII–2–2016/06(02)/2012टी0सी0 देहरादून दिनांक 16.10.2017 के संदर्भ में।
6– महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या–2प/रा0म0/52/2008/28091, दिनांक 25.10.2017 के संदर्भ में।
7– महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8– अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9– अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
10– मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर।
11– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बिजनौर।
12– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर चमोली उत्तराखण्ड।
13– संबंधित चिकित्साधिकारी(द्वारा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0लखनऊ)।
14– चिकित्सा अनुभाग–2/3
15– कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।